न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–92/2025

CNR No. UPAU120005052025

अनेकश्री बनाम शुब्रा कान्ती नाग।

अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–30.05.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी मैसर्स प्रोफिट एक्सिस शेयर एवं वेल्थ मैनेजमेंट प्रा0लि0 का सी0एम0डी0 है तथा परिवादिनी ने विपक्षी की कम्पनी में रुपये निवेश किया था। जिस उत्तरदायित्व से मुक्त होने के लिए विपक्षी ने परिवादिनी को दिनांक 28.11.2024 को अपने यस बैंक के खाता संख्या 03422700000063 की चैक संख्या 000709 मुव0 3,22,174/–रुपये की दी। परिवादिनी ने उक्त चैक को अपने भारतीय स्टेट बैंक, शाखा बिधूना के बैंक खाते में भुगतान हेतु लगायी, जो दिनांक 10.01.2025 को ''एकाउन्ट ब्लॉक्ड'' की टिप्पणी के साथ अनादरित हो गयी। परिवादिनी ने पुनः दिनांक 20.01.2025 को उक्त चैक भुगतान हेतु लगायी, परन्तु प्रश्नगत चैक Account blocked situation covered in 2125 की टिप्पणी के साथ बिना भुगतान किये वापस कर दी गयी। विपक्षी ने जानबूझकर परिवादिनी को अपने ऐसे बैंक खाते की चैक जारी की, जो ब्लॉक्ड है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 27.01.2025 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया गया, जो गलत टिप्पणी अंकित करवाकर वापस कर दिया गया। विपक्षी का यह कृत्य धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अपराध की परिधि में आता है। अतः विपक्षी को उपरोक्त अपराध में तलब करने की कृपा करें।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक, दो किता चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, तीन किता मूल रजिस्ट्री रसीदें, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 27.01.2025 दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादिनी ने स्वयं को जरिये धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 20.01.2025 को वापस कर दी गयी तथा चैक अनादरित हो गयी। परिवादिनी द्वारा विपक्षी को दिनांक 27.01.2025 को लीगल नोटिस भेजी गयी, जो Item Returned Address Left without instructions की आख्या के साथ संलग्न है। परिवादिनी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2025 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी शुब्रा कान्ति नाग के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी शुब्रा कान्ति नाग को अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शुब्रा कान्ति नाग** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2025.05.30 14:21:19 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Auraiya

अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादिनी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 04.07.2025 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441